न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, नवम् सिवान

जमानत आवेदन सं0– 340 / 2026

गोरियाकोठी थाना काण्ड सं0– 175 / 2025

अंतर्गत धारा 126(2), 115(2), 118(1), 109, 117(2), 352, 351(2), 3(5) BNS

विरेन्द्र चौधरी, पिता– स्व. पत्थल यादव..... आवेदक।

बनाम्

राज्य सरकार..... विपक्षी।

16-04-2026 आवेदक अभियुक्त विरेन्द्र चौधरी की ओर से दाखिल नियमित जमानत आवेदन पर उभय पक्षो का सुना।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया है कि आवेदक अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। इन्हें झूठा मुकद्मा में फंसाया गया है। आवेदक अभियुक्त के द्वारा इस जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई भी नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष दाखिल या प्रचालित नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक अभियुक्त दिनांक 16.03.2026 से कारा में है। आवेदक अभियुक्त के फरार होने तथा उनके द्वारा अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना नहीं है। अतः जमानत आवेदन स्वीकृत करने का निवेदन किया गया है।

विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा नियमित जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

प्रसांगिक मामले संक्षेप में यह है कि सूचक अरूण कुमार दिनांक 25.05.2025 को समय करीब 11 बजे दिन में सूचक के घर के सामने सूचक के पड़ोस के विरेन्द्र चौधरी, ज्योति कुमारी, सीता देवी ये तीनों मिट्टी काट रहे थे जिसका विरोध सूचक के द्वारा किया गया जिस पर विरेन्द्र चौधरी एवं ज्योति कुमारी रॉड और फरसा लिए हुए जान मारने के नियत से सूचक के सर पर अंधाधुंध प्रहार करने लगे जिससे सूचक का सर फट गया तथा सूचक वहीं गिर गया एवं सूचक के सर से काफी खून गिरने लगा जिससे सूचक लहुलुहान हो गया। इसी बीच सीता देवी एवं ज्योति कुमारी अपने हाथ में लिए धारदार रॉड एवं सरिया से लगातार सूचक के शरीर पर प्रहार किए जिससे सूचक के छाती में गंभीर रूप से चोट आई तथा छाती का हड्डी टुटने का महसुस हुआ। आसपास के लोग हल्ला की आवाज सुनकर आए तथा बीच–बचाव किए, जिसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गोरियाकोठी इलाज के लिए परिजन द्वारा लाया गया जहां पर डॉक्टर द्वारा गंभीर स्थिति को देखते हुए सदर अस्पताल सिवान रेफर किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना तथा सम्पूर्ण अभिलेख एवं काण्ड दैनिकी का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि प्रासंगिक कांड की प्राथमिकी आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध धारा **126(2) 115(2),118(1),109,117(2), 352,351(2), 3(5)** BNS के अर्न्तगत दर्ज किया गया है। आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध सह अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक के साथ मारपीट करने का आरोप है। विरेन्द्र चौधरी एवं ज्योति कुमारी रॉड और फरसा लिए हुए जान मारने के नियत से सूचक के सर पर अंधाधुंध प्रहार करने लगे जिससे सूचक का सर फट गया तथा सूचक वहीं गिर गया एवं सूचक के सर से काफी खुंन गिरने लगा जिससे सूचक लहुलुहान हो गया। इसी बीच सीता देवी एवं ज्योति कुमारी अपने हाथ में लिए धारदार रॉड एवं सरिया से लगातार सूचक के शरीर पर प्रहार किए जिससे सूचक के छाती में गंभीर रूप से

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, नवम् सिवान

जमानत आवेदन सं0– 340 / 2026

गोरियाकोठी थाना काण्ड सं0– 175 / 2025

अंतर्गत धारा 126(2), 115(2), 118(1), 109, 117(2), 352, 351(2), 3(5) BNS

विरेन्द्र चौधरी, पिता– स्व. पत्थल यादव..... आवेदक।

बनाम्

राज्य सरकार..... विपक्षी।

चोट आई। कांड दैनिकी 31 में जख्मी अरूण कुमार का जख्म प्रतिवेदन में 1. Chest pain with swelling- Patient refered to sadar Hospital siwan- For Chest X-Ray Examination. According chest X-Ray Report of sadar Hospital siwan-Fracture of both right side seen. Caused by hard and blunt object. Nature of Injury- Grievous in Nature. 2. A Sharp cut injury over left side paricta region of scalp about 7.5 cmx 1/2mmx1/2mm-about-6 Stitches over wount. Caused by sharp edge object. Nature of Injury Sever in nature. 3. A Sharp cut injury ove occipital region Scalp-about 3 cmx 1/2mmx1/2mm 3 Stitches over wount. Nature of Injury Sever in nature. Caused by sharp edge object बताया गया है। कांड दैनिकी की कंडिका 37 में समीक्षात्मक टिप्पणी है जिसमें धारा **126(2) 115(2),118(1),109,117(2), 352,351(2), 3(5)** BNS को सत्य पाया गया है। आवेदक अभियुक्त विरेन्द्र चौधरी के ऊपर सूचक पर जान से मारने की नियत से रॉड और फरसा से सर पर अंधाधुंध प्रहार करने का गंभीर आरोप है। जमानत आवेदन संख्या– 1223 / 25 से अन्य अभियुक्तों का इस न्यायालय से खारिज है।

उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए आवेदक अभियुक्त की ओर से दाखिल नियमित जमानत आवेदन की सुविधा प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार आवेदक अभियुक्त **विरेन्द्र चौधरी** की ओर से दाखिल नियमित जमानत आवेदन को खारिज किया जाता है।

(**लेखापित**)

ह0 / –

(सुशान्त रंजन)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नवम्

16.04.2026

ज्ञापांक दिनांक

प्रतिलिपिः अपर मुख्य न्यायाधीश अष्टम् को गोरियाकोठी थाना काण्ड सं0– 175 / 2025 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

(सुशान्त रंजन)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नवम्

16.04.2026